न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2020-00227Ju2020-98 Manglaram Vs Smt. Anopi etc

---

1. मंगलाराम पुत्र श्री मोती,
2. हीरा पुत्र श्री मोती

जातियान् मेघवाल, निवासीगण- कोलू निम्बावत, तहसील देचू, जिला जोधपुर।

3. शेराराम पुत्र श्री सोनाराम
4. अनोपाराम पुत्र श्री सोनाराम
5. लाछेदेवी पत्नी श्री सोनाराम

जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम मटोली, तहसील व जिला श्री गंगानगर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती अनोपी पुत्री भीखा पत्नी श्री चूनाराम जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम पलीना, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती टिपूदेवी पुत्री श्री भीखा पत्नी श्री दमाराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम मोहरा तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. चेतनराम पुत्र श्री पेमाराम
4. नाथूराम पुत्र श्री पेमाराम
5. नखताराम पुत्र श्री पेमाराम
6. खानाराम पुत्र श्री पेमाराम
7. मेघाराम पुत्र श्री पेमाराम
8. सुखाराम पुत्र श्री ईगाराम उर्फ डूंगरराम,
9. गोमाराम पुत्र श्री ईगाराम उर्फ डूंगरराम
10. किशनाराम पुत्र श्री ईगाराम उर्फ डूंगरराम
11. घेवरराम पुत्र श्री मुलाराम
12. मनाराम पुत्र श्री मुलाराम
13. हिरा पत्नी श्री मुलाराम
14. समदादेवी पत्नी श्री नरुराम
15. तेजाराम पुत्र श्री नरुराम
16. बाबुराम पुत्र श्री नरुराम
17. टिकुराम पुत्र श्री नरुराम
18. गोकलराम पुत्र श्री नरुराम
19. पुरखाराम पुत्र श्री लिछमणराम
20. दीनाराम पुत्र श्री लिछमणराम
21. बाबूलाल पुत्र श्री लिछमणराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

22. गोमदराम पुत्र श्री लिछमणराम सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- कोलू निंबावता, तहसील देचू, जिला जोधपुर।
23. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, देचू, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 19 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 961/2020 अनोपी व अन्य बनाम चेतनराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 23

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 961/2020 अनोपी व अन्य बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 मार्च 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 02 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का माफ किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक व दो द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कोलू वर्तमान ग्राम कोलू निंबावत तहसील देचू के खसरा नं. 695 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 696 रकबा 12.14 बीघा, खसरा नं. 712 रकबा 42.16 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि उनकी खातेदारी की भूमि आयी हुई है। पूर्व में उपरोक्त भूमि भीखा पुत्र अमरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु होने पर प्रत्यर्थी संख्या एक व दो जो उनकी जायंदा पुत्रियां है, के जीवित रहते पेमाराम, ईगाराम, मूलाराम, लिछमणराम, सोनाराम तथा मंगलाराम व हिरा के नाम से विरासत नामांतरकरण संख्या 296 ग्राम कोलू राठौड़ा गलत रूप से पारित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो को उपरोक्त नामांतरकरण की जानकारी होने पर तथा भूमि का आगे हस्तांतरण करने की धमकी दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाा का वाद प्रस्तुत किया तथा विवादित भूमि के खातेदार घोषित किये जाने की मॉग की। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण व अन्य प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गय। अपीलार्थीगण के नोटिस सम्यक तामील करवाये बिना ही उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही गलत रूप से अमल में लायी गई तथा अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक व दो के वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19 मार्च 2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। अपीलार्थीगण के नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है, जबकि अपीलार्थीगण के नोटिस विधि अनुसार तामील ही नहीं हुए थे, इस कारण एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है तथा डिक्री व निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को जवाब का अवसर ही नही मिल सका तथा न ही साक्ष्य का अवसर मिल सका है, जिस कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण भी अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

फुसाराम

अमराराम ⟷ कृपाराम

पेमाराम, डूंगरराम, भीखाराम, मूलाराम, लिछमणराम — मोती

मंगलाराम, सोनाराम, हिराराम

शेराराम, अनोपाराम, लाछदेवी

वक्त सेटलमेंट विवादित भूमि श्री भीखाराम पुत्र अमराराम जी के नाम की आई हुई थी तथा कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित हिंदु परिवार की होने के कारण अपीलार्थीगण का भी उपरोक्त भूमि में वक्त सेंटलमेंट से ही हिस्सा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के सजरा खानदान के अनुसार विवादित भूमि में अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा खातेदारी बंट में आता है तथा हिस्से बंट किये हुए है। इस सजरा खानदान से स्पष्ट होता है कि भीखाराम परिवार में बड़ा होने के कारण राजस्व रेकर्ड में कर्ता के रूप में दर्ज था, जबकि वक्त सेटलमेंट परिवार संयुक्त अविभाजित हिंदु परिवार होने के कारण अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा है। इसी अनुसार अन्य ग्राम धनेश्वर नगर पुरोहितान तहसील देचू में खसरा नं. 539 में भी संयुक्त रूप से बंट आये हुए है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवार व वंशावली की जॉच किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है, जबकि अपीलार्थीगण खातेदार पक्षकार थे तथा इनका भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवादित भूमि में हक, हिस्सा निहित है। इस कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा आपस में दुर्भि-संधि करते हुए जान बूझकर अपीलार्थीगण को खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की नीयत से मिलावट करते हुए वाद को निर्णित करवाया है, जबकि संपूर्ण भूमि प्रत्यर्थीगण संख्या 3 से 22 अपने नाम करवाना चाहते है, जिसके लिए यह सारी कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील किये बिना उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है। दिनांक 26.07.2020 को जब अपीलार्थीगण खेत को अवेर रहे थे तो प्रत्यर्थी संख्या एक व दो मौके पर आयी तथा धमकी दी कि उपरोक्त भूमि की खातेदारी हमने प्राप्त कर ली है, तुम्हे बेदखल कर देंगे तथा भूमि का आगे बेचान कर देंगे, जिस पर अपीलार्थीगण लोहावट आये तथा पता करवाकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27.07.2020 को नकल के लिए आवेदन करवाया जो नकल तैयार होकर दिनांक 27.07.2020 को प्राप्त हुई, जिसे पढकर सुनाने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। जिस पर अपीलार्थीगण को बताया गया कि उपरोक्त निर्णय की अपील जोधपुर होगी, जिस पर अपीलार्थीगण रूपये पैसों की व्यवस्था कर जोधपुर आये तथा अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तु त की जा रही है। जान बूझकर तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु यह अपील देरी से नहीं प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 मार्च 2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार निर्णित किये जाने का निर्देश पारित फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने तथा रेस्पोडेंट संख्या एक व दो स्व. भीखाराम की प्रथम श्रेणी वारिस होने के कारण विवादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थी संख्या एक व दो का जन्म से अधिकार निहित है। अपीलांट्स को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये, फिर भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4, 6 से 9, 17 से 19 की ओर से वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति का कोई विधिसम्मत एवं तर्कसंगत कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहाँ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट्स को भेजे गये सम्मनो की प्रति के अवलोकन मुताबिक उक्त **सम्मनों पर आगामी तारीख पेशी, सम्मन जारी कर्ता के हस्ताक्षर, मुकदमा नंबर एवं न्यायालय की मोहर का अभाव पाया जाता है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार सम्मन तामील नहीं होने के बावजूद भी पर्याप्त तामील मानकर अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती रूप से दर्ज है। किसी खातेदार का हिस्सा खुला हुआ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत तनकीयात ही कायम नहीं की गई तथा न ही वादी द्वारा अपने वाद समर्थन में दस्तावेज प्रदर्शन करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 9, 17 से 19 की सहमति के आधार पर विवादग्रस्त भूमि में वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप अपीलांट्स पर सम्मनों की विधिवत तामील किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 961/2020 अनोपी व अन्य बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 मार्च 2020 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में बाद अपीलार्थीगण का जवाब मामले में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28 दिसबंर 2021 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर